भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं *82

जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

ऑनलाइन विवाद समाधान

***82. श्रीमती अपराजिता सारंगी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ऑनलाइन विवाद समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी कानून/दिशानिर्देश को बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार की योजना जन उपयोगिता सेवाओं के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान को आरंभ करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या सरकार की योजना लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कतिपय मामलों में मुकदमेबाजी से पहले ऑनलाइन विवाद समाधान को अनिवार्य किए जाने का है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन विवाद समाधान के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याएय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'ऑनलाइन विवाद समाधान' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *82 जिसका उत्तर तारीख 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत में आनलाइन विवाद समाधान की धारणा आरंभिक अवस्था में है । नीति आयोग ने, इसे आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और समिति की "विवाद समाधान के भविष्य का रूपांकन : भारत की आनलाइन विवाद समाधान नीति योजना" नामक रिपोर्ट तारीख 29.11.2021 को जारी की गई थी । इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में आनलाइन विवाद समाधान को मुख्य धारा में लाने के लिए एक ऐसी किफायती, सुविधाजनक, दक्ष प्रक्रिया के रूप में सिफारिश की गई है , जो विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , पक्षकारों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकती है ।

(ख) : जन उपयोगिता सेवाएं, अनन्य रूप से केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में नहीं आती हैं, क्योंकि ये सेवाएं राज्य सरकारों द्वारा भी प्रदान की जाती हैं । इस मामलें में किसी नीति को आरंभ करने में व्यापक परामर्शों की आवश्यकता होती है । चूंकि , वर्तमान में, आनलाइन विवाद समाधान पारिस्थितिकी तंत्र अभी देश में औपचारिक रूप से आरंभ किया जाना है , वर्तमान में, जन सेवाओं में आनलाइन विवाद समाधान को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) : जी, हां । मध्यकता संबंधी एकमात्र विधि के लिए प्रस्ताव , किसी न्यायालय में किसी पक्षकार द्वारा सिविल या वाणिज्यिक प्रकृति का कोई वाद या कार्यवाहियां फाइल करने से पहले मुकद्दमा-पूर्व मध्यकता के लिए उपबंध करता है । ऐसी मुकद्दमा-पूर्व मध्यकता भी आनलाइन आरंभ की जा सकती है ।

(घ) : नीति आयोग द्वारा 29.11.2021 को जारी की गई भारत की आनलाइन विवाद समाधान नीति योजना में आनलाइन विवाद समाधान के लिए जागरूकता का प्रसार करने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई है । तथापि, अभी तक कोई विधिक कार्यढ़ांचा प्रस्तुत नहीं किया गया है , वर्तमान में, आनलाइन विवाद समाधान संबंधी जागरूकता में वृद्धि करने के लिए उपाय , सरकार के स्तर पर उद्भूत नहीं होते हैं ।

****